महत्वपूर्ण

संख्या-2/2021/**195/78-2-2020-110 आई0टी0/2017टीसी**

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.अपीलीय अधिकारी,
यूपीएलसी/यूपीडेस्को/सीईजी/श्रीट्रान/अपट्रान पारट्रानिक्स लि0,लखनऊ।

2.जन सूचना अधिकारी,
यूपीएलसी/यूपीडेस्को/सीईजी/श्रीट्रान/अपट्रान पारट्रानिक्स लि0,लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 25 जनवरी, 2021**

विषयः-सूचना के अधिकार के अधिनियम-2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन एवं भौतिक रुप से प्राप्त होने वाले आवेदन/ अपीलीय पत्रों को ससमय निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार की भॉति उ0प्र0 राज्य में भी सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों/अपीलीय पत्रों को निस्तारित किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु शासन/विभागाध्यक्ष/निदेशालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित कर उन्हें यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलबध कराये गये है।

2- उक्त पोर्टल के प्रभावी संचालन की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2021 को की गई, जिसमें नोडल जन सूचना अधिकारियों के स्तर पर अत्याधिक मात्रा में आवेदन पत्रों के लम्बित पाये जाने पर अप्रसन्ता व्यक्त की गयी है, तथा निर्देश दिये गये है कि समस्त नोडल जन सूचना अधिकारी उक्त पोर्टल पर प्राप्त हो रहे आॅनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अन्दर सुनिश्चित करें। उक्त आदेशों का अनुपालन न करने पर नोडल जन सूचना अधिकारियों का उत्तरदयित्व भी निर्धारित किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके कार्यालय में विभिन्न स्तरों से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आॅनलाइन/भौतिक रुप से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण ससमय सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हों।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या-2/2021/195(1)/78-2-2021- तददिनांक

प्रतिलिपिः-अपीलीय अधिकारी/ नोडल अधिकारी/ जन सूचना,अधिकारी, एवं समस्त समीक्षा अधिकारी,आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in